भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 748
दिनांक 24 जुलाई, 2025

पेट्रोल पंपों से संबंधित शिकायतों का निवारण

748. श्री राजकुमार रोतः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा पेट्रोल पंपों पर मिलावट और कम मापन से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण और निवारण के संबंध में किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बांसवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पेट्रोल पंपों की संख्या कितनी है और विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाए गए शिकायतों की संख्या कितनी है;

(ग) बांसवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) पंपों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या केंद्र सरकार क्षेत्र में और अधिक सीएनजी पंप खोलकर सीएनजी को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे पंप खोलने के लिए क्या प्रावधान निर्धारित हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिपों पर मिलावट तथा कम तौल सहित अनियमितताओं अथवा कदाचार की जाँच के लिए विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) तैयार और लागू किए हैं। एमडीजी दिशानिर्देशों और डीलरशिप समझौता के अनुसार दोषी पाए गए डीलरों के खिलाफ पाई गयी अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई की जाती है। एमडीजी दिशानिर्देश वेबसाइट: https://iocl.com/marketing-discipline-guidelines पर उपलब्ध हैं।

केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण और कदाचार की रोकथाम विनियमन) आदेश, 2005 भी जारी किया है, जो पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट जैसे कदाचारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है। इसके अलावा, सरकार ने जून, 2022 में सुदूर क्षेत्रों के खुदरा बिक्री केन्द्रों सहित सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों तक सार्वभौमिक सेवा दायित्वों (यूएसओ) का दायरा बढ़ा दिया है। यूएसओज को भी इसलिए ही निर्धारित किया गया है जिससे प्राधिकृत कंपनियां उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण तथा निर्बाध ईंधन आपूर्ति संबंधी सेवाएं प्रदान कर सकें।

ओएमसीज का ऑनलाइन पोर्टल है जो उपभोक्ताओं को मिलावट तथा कम तौल से संबंधित शिकायत का पंजीकरण प्रदान करता है। इसके साथ-साथ केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल एक अन्य माध्यम है जिसके जरिए उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार ओएमसीज ने बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तहत डूंगरपुर जिले में 93 आरओज और बांसवाड़ा जिले में 108 आरओज की स्थापना की है।

पीएसयू ओएमसीज ने बताया है कि बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तहत बांसवाड़ा जिले तथा डूंगरपुर जिले में वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जून, 2025 तक उन्हें क्रमश: 3,6,7,6,6 और 4 (कुल 32) उपभोक्ता शिकायतें (डिलीवर किए गए उत्पाद की गुणवत्ता तथा मात्रा से संबंधित) प्राप्त हुई तथा सभी शिकायतों की जांच की गई और निवारण किया गया था।

(ग) और (घ) संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशन की स्थापना करना नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है तथा यह काम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत कंपनियों द्वारा उनके न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) के अनुसार किया जा रहा है।

बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र झाबुआ, बांसवाड़ा, रतलाम और डूंगरपुर जिलों के भौगोलिक क्षेत्र (जीए) में आता है। प्राधिकृत सीजीडी कंपनी को अपनी एमडब्ल्यूपी के अनुसार जीए में सीएनजी स्टेशनों की स्थापना करने की आवश्यकता होती है। दिनांक 31.05.2025 की स्थिति के अनुसार प्राधिकृत सीजीडी कंपनी ने झाबुआ, बांसवाड़ा, रतलाम और डूंगरपुर जिले जीए में 33 सीएनजी स्टेशनों की स्थापना की है।

******